

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२५१)-१६-०३/२०२६- ७५

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-०१ अनुसूचित जातियों का कल्याण-००१-निर्देशन और प्रशासन, ०००१-निर्देशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड़- ४४- २२२५०१००१०००१" (मॉग संख्या-४४) के अन्तर्गत २००३-प्रशिक्षण व्यय में कुल ₹३००.०० लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि "२२५१-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-०९०-सचिवालय, उपशीर्ष -००२३ -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड़-४४-२२५१०००९०००२३ (मॉग संख्या-४४) के ५१०१-मोटर गाड़ी-कार्यालय ईकाई में कुल ₹६६.९९ लाख (छियासठ लाख निनान्चे हजार रु०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव।

आदेश- स्वीकृत।

२- बिहार वित्तीय नियमावली भाग १ के नियम ४८९ योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष "२२५१-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ,उपमुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-०९०-सचिवालय, उपशीर्ष -००२३ -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड़-४४-२२५१०००९०००२३ (मॉग संख्या-४४) के अन्तर्गत ५१०१-मोटर गाड़ी-कार्यालय ईकाई में कुल ₹६६.९९ लाख (छियासठ लाख निनान्चे हजार रु०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

३- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

४- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

५- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२५१)-१६-०३/२०२६- ७५ पटना,दिनांक- १५/०७/२०२६
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२५१)-१६-०३/२०२६- ७५ पटना,दिनांक- १५/०७/२०२६
प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ निर्देशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ उप निर्देशक(मु०) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना/प्रशाखा पदाधिकारी ७जी०, बजट शाखा (८डी०)/लेखा शाखा/आईटी०मैनेजर, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

अतिरिक्त/अनुदान

के लिए आवेदन-पत्र।

पुनर्विनियोग

झांप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0023-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड-44-2251000900023 (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 5101-मोटर गाड़ी-कार्यालय ईकाई में कुल ₹66.99 लाख (छियासठ लाख निनान्चे हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु

के क्रम में

स्वीकृति के लिए

को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन

पदाधिकारी का पदनाम — अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण

पुनर्विनियोग यदि कुछ हो- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष झांप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निदेशन और प्रशासन, 0001-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- 44-2225010010001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2003-प्रशिक्षण व्यय में कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रू०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0023-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड-44-2251000900023 (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत अन्तर्गत 5101-मोटर गाड़ी-कार्यालय ईकाई में कुल ₹66.99 लाख (छियासठ लाख निनान्चे हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।

01.07.24
सचिव,

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति

कल्याण विभाग।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति

कल्याण विभाग, बिहार, पटना

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

44-

वृहत शीर्षक:- 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाए-00-090-सचिवालय, 0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (विपत्र कोड-44-2251000900023)
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निर्देशन और प्रशासन, 0001-निर्देशन एवं प्रशासन(विपत्र कोड-44-2225010010001)

मांग संख्या- 44

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।(44-2251000900023)							शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।(44-2225010010001)				
विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	प्रत्यर्पित राशि।	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0023.51.01-मोटर गाड़ी-कार्यालय	रु0 1000	रु0 1000	रु0 6700000	रु0 6699000	रु0 6700000	रु0 0001.2003-प्रशिक्षण व्यय	रु0 30000000	रु0 30000000	रु0 23301000 कुल:-	रु0 6699000 6699000 (छियासठ लाख निनान्चे हजार रु0)	रु0 23301000

टिप्पणी- (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जायं, जिनसे इकाई संबंधित हो।

(ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर, दिखाई जाय।

(ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।

(घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

(ड.) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा पीठ पीठ पर दिया जाय।

अन्य इकाइयों

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना